पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–15] रुड़की, शनिवार, दिनांक 03 मई, 2014 ई0 (बैशाख 13, 1936 शक सम्वत्) [संख्या–18

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	269–272	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	157–174	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	381–393	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	15	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

गृह अनुभाग–2

विज्ञप्ति / नियुक्ति

19 फरवरी, 2014 ई0

संख्या 160 / 14/xx-2/135/पुलिस संचार/2008–लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड, हरिद्वार द्वारा की गयी संस्तुतियों पर सम्यक्, विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित अभ्यर्थियों को उत्तराखण्ड पुलिस संचार विभाग के अन्तर्गत सहायक रेडियो अधिकारी के पद पर वेतनमान ₹ 15,600–39,100, ग्रेड पे ₹ 5400 में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन नियुक्त करते हैं तथा दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रखते हुए उनके नाम के सम्मुख इंगित स्थान पर तैनात किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क्र0सं0	अभ्यर्थी का नाम व पता	तैनाती स्थल
1.	श्री अनूप काला पुत्र श्री पी0डी0 काला, ग्राम व पो0–मयाली, जनपद–रूद्रप्रयाग	पौड़ी
2.	श्री विपिन कुमार पुत्र श्री मुकेश चन्द्र, ग्राम महादेव नगर, पो0–ढकिया नं0–01, तहसील–काशीपुर, जनपद–ऊधमसिंह नगर	टिहरी

2. उपरोक्त नियुक्ति पूर्णतया औपबन्धिक एवं अस्थाई है। यदि स्वास्थ्य परीक्षण अथवा चरित्र एवं पूर्व कृत्यों के सत्यापन में प्रतिकूल तथ्य पाये जाते हैं तो यह नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी।

3. परिवीक्षा अवधि के दौरान अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं आदेशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4. उपरोक्तानुसार नियुक्त अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान में कार्यभार ग्रहण कर प्रमाणक शासन एवं पुलिस मुख्यालय को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,

ओम प्रकाश,
प्रमुख सचिव।

चिकित्सा अनुभाग–2

अधिसूचना

पदोन्नति

26 फरवरी, 2014 ई0

संख्या 241 / XXVIII-2/01(92)2006–एतद्द्वारा पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के अन्तर्गत कार्यरत डा0 सावित्री सिंह, अपर निदेशक, बेस चिकित्सालय, हल्द्वानी, नैनीताल वेतनमान वेतन बैण्ड–4 ₹ 37400–67000, ग्रेड वेतन ₹ 8900 को नियमित चयनोपरान्त, निदेशक, वेतनमान वेतन बैण्ड–4 ₹ 37400–67000, ग्रेड वेतन ₹ 10,000 के पद पर वर्तमान तैनाती स्थान पर ही कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नति प्रदान करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उपरोक्त पदोन्नत निदेशक के तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किए जाएंगे।

अधिसूचना

पदोन्नति

26 फरवरी, 2014 ई0

संख्या 242/XXVIII-2/01(92)2006–एतद्द्वारा पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के अन्तर्गत कार्यरत डा0 आशा सिंह, अपर निदेशक (स्वास्थ्य), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, देहरादून वेतनमान वेतन बैण्ड–4 ₹ 37400–67000, ग्रेड वेतन ₹ 8900 को नियमित चयनोपरान्त, निदेशक, वेतनमान वेतन बैण्ड–4 ₹ 37400–67000, ग्रेड वेतन ₹ 10,000 के पद पर दिनांक 01–03–2014 को प्राप्त होने वाली रिक्ति के सापेक्ष वर्तमान तैनाती स्थान पर ही कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नति प्रदान करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। डा0 आशा सिंह द्वारा दिनांक 01–03–2014 को निदेशक का पद रिक्त होने पर ही कार्यभार ग्रहण किया जायेगा।

2. उपरोक्त पदोन्नत निदेशक के तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

आज्ञा से,

ओम प्रकाश,
प्रमुख सचिव।

कृषि एवं विपणन अनुभाग–2

अधिसूचना

28 फरवरी, 2014 ई0

संख्या 209/XIII(2)/2014-05(आश्वासन)/2010–एतद्द्वारा श्री राज्यपाल महोदय ऐसे कृषि उत्पादों यथा फलों–सब्जियों, जिन्हें अधिसूचना संख्या 1276/XIII(2)/2013-123(12)/2003 दिनांक 30–12–2013 द्वारा विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादों की सूची से हटाया गया है, को उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2011 (अधिनियम संख्या 09, वर्ष 2011) की धारा–3 सपठित धारा 12(1)(क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पुनः विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादों की सूची में सम्मिलित करते हुए, प्रदेश के मण्डी क्षेत्रों/समितियों में उनके विक्रय सौदों पर धारा 27(ग)(दो) के प्राविधानानुसार 01 प्रतिशत मण्डी शुल्क एवं 0.5 प्रतिशत विकास सैस अधिरोपित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त आदेश इस अधिसूचना के निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होंगे।

3. इस सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत समस्त आदेश/अधिसूचनाएं उक्त सीमा तक अतिक्रमित समझे जाएंगे।

आज्ञा से,

डॉ0 रणवीर सिंह,
प्रमुख सचिव।

सिंचाई अनुभाग

विज्ञप्ति/पदोन्नति

28 फरवरी, 2014 ई0

संख्या 548/II-2014-01(440)/2012–शासन की विज्ञप्ति/पदोन्नति संख्या 3593/II-2013-01(440)/2012 दिनांक 03–12–2013 के क्रम में सिंचाई विभाग के अन्तर्गत श्री गिरीश चन्द्र खोलिया, सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनसे कनिष्ठ श्री गोपाल कृष्ण रतूड़ी की अधिशासी अभियन्ता के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वेतनमान ₹ 15,600–39,100, सदृश्य ग्रेड वेतन ₹ 6600 में अधिशासी अभियन्ता (सिविल) के पद पर पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त पदोन्नति आदेश मा0 उच्चतम न्यायालय में दायर विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 385/2011 श्री गोपाल सिंह मेहरा एवं अन्य बनाम राज्य में होने वाले निर्णय के अधीन रहेंगे।

3. श्री खोलिया को वर्तमान कार्यस्थल पर ही कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा तथा इनकी पदस्थापना के आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे।

आज्ञा से,

डा0 अजय कुमार प्रद्योत,
सचिव।

कार्यालय संस्कृत शिक्षा विभाग

कार्यभार–प्रमाणक

20 फरवरी, 2014 ई0

संख्या UO-19/XLII-1/2014–सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग–01, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय आदेश संख्या 496/XXXI(1)/2014, दिनांक 20 फरवरी, 2014 जैसा कि इसमें कहा गया है, के अनुपालन में अनुसचिव उत्तराखण्ड शासन के पद का कार्यभार दिनांक 20 फरवरी, 2014 के अपराह्न में ग्रहण किया गया।

गोकुलानन्द उप्रेती
अनुसचिव।

प्रतिहस्ताक्षरित

एस0 राजू,
प्रमुख सचिव,
संस्कृत शिक्षा विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 18 हिन्दी गजट/346–भाग 1–2014 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 03 मई, 2014 ई0 (बैशाख 13, 1936 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड

(विधि–अनुभाग)

विज्ञप्ति

{उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर नियम 2005 के नियम 23 उपनियम (3) के अन्तर्गत}

फरवरी 21, 2014 ई0

पत्रांक 5694 / आयु0कर,उत्तराखण्ड / परिपत्र / प0–03 / विधि–अनु0 / 13–14 / देहरादून–1–उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम–2005 की धारा 4 (7) के खण्ड (क) के अन्तर्गत मान्यता प्रमाण–पत्र रखने वाले व्यापारियों को ऑनलाइन दाखिल की गयी सावधि विवरणी के अनुलग्नक 17 (XI) के आधार पर, दिनांक 01 जनवरी, 2014 एवं उसके बाद के सम्व्यवहारों के लिए उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर नियम 2005 के नियम 23 के उपनियम (1) में विहित फार्म 'XI', रियायती दर पर खरीद के लिए घोषणा पत्र, को वाणिज्य कर विभाग उत्तराखण्ड की वैबसाईट http//:comtax.uk.gov.in के माध्यम से ई–जनरेट करने एवं ए–4 साइज के कागज पर तीन प्रतियों में (मूल प्रति, द्वितीय प्रति एवं प्रतिपर्ण) प्रिन्ट आउट लेकर हस्ताक्षर सहित जारी करने के लिए निम्न शर्तों एवं निर्देशों के अधीन दिनांक 01 अप्रैल, 2014 से प्राधिकृत किया जाता है परन्तु उत्तराखण्ड वन विकास निगम से खरीद करने वाले मान्यता प्रमाण–पत्र धारी व्यौहारियों द्वारा विक्रय अनुमोदन पत्र के आधार पर तत्काल प्रभाव से प्रपत्र ऑनलाइन जेनेरेट किये जा सकेंगे।

2– विभाग द्वारा मुद्रित कराये गये फार्म 'XI' को दिनांक 01 जनवरी, 2014 एवं उसके बाद के सम्व्यहारों के लिए पुरानी व्यवस्था के अनुसार मैनुअली जारी किया जांना तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जायेगा। उत्तराखण्ड वन विकास निगम से खरीद करने वाले मान्यता प्रमाण पत्र धारी व्यौहारियों के लिये विक्रय अनुमोदन पत्र के आधार पर तात्कालिक प्रभाव से पुरानी व्यवस्था समाप्त कर दी जायेगी।

3– दिनांक 01 जनवरी 2014 से पूर्व के सम्व्यवहारों के लिए, विभाग द्वारा मुद्रित कराये गये फार्म–'XI' जारी करने के सम्बन्ध में मुख्यालय के विज्ञप्ति संख्या 2285/आयु0कर उत्तराखण्ड/ विधि –अनु0 /2013–14 दिनांक 08.08.2013 एवं विज्ञप्ति संख्या 2691 दिनांक 12 सितम्बर,2013 के द्वारा निर्धारित की गयी व्यवस्था के अन्तर्गत जारी किए जाते रहेंगे।

4– फार्म 'XI' जनरेट करने हेतु कोई प्रार्थना पत्र अथवा फीस नहीं देनी होगी। ऑनलाईन Submit की गयी सावधिक विवरणी का अनुलग्नक 17 (XI) ही फार्म जारी करने हेतु "प्रार्थना पत्र" मान लिया जायेगा।

5– ब्यौहारी का दायित्व होगा कि वह उन्हीं वस्तुओं के क्रय के लिए और उन्ही उददेश्य के लिए फार्म जनरेट करे जिसके लिए वह विभाग द्वारा जारी मान्यता प्रमाण पत्र के द्वारा अधिकृत है।

6–जनरेट किये गए फार्म का unique serial number ऐसा होगा जैसा कि system जनरेट करे। जनरेट किए गए फार्म 'XI' एंवं उसके अनुलग्नकों को स्वयं व्यौहारी,फर्म एवं कम्पनी आदि के मामले में इस प्रयोजन हेतु प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और ऐसे हस्ताक्षर का नमूना कर निर्धारण अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा।

7–Website से फार्म जनरेट करने की प्रकिया वह होगी, जैसा कि वाणिज्य कर विभाग की वैबसाईट पर 'user manual'' लिंक पर उपलब्ध है।

8–कर निर्धारण अधिकारी, यदि सन्तुष्ट है कि ऐसे कारण उपलब्ध है जिनके आधार पर किसी व्यौहारी को फार्म 'XI' जारी किया जाना उचित नहीं है तो वह, किसी भी स्तर पर, ऐसे व्यौहारी का फार्म 'XI' का जनरेशन Block कर सकता है। ऐसी परिस्थिति में, ऐसे कारणों के समाधान हेतु व्यौहारी को अपने कर निर्धारण अधिकारी से संपर्क करना होगा।

9– किसी त्रैमास के सम्व्यवहार से संबंधित फार्म 'XI' को जनरेट करने के लिये यह शर्त होगी कि उस त्रैमास का रूपपत्र दाखिल हो और उस अवधि के कर, ब्याज एवं विलम्ब शुल्क का भुगतान कर दिया गया हो परन्तु उत्तराखण्ड वन विकास निगम से की गयी खरीद के विरूद्व जेनरेट किये जाने वाले फार्म 'XI' के सम्बन्धित त्रैमास में रूपपत्र दाखिल करना लागू नहीं होगा परन्तु ऐसे व्यौहारियों द्वारा पूर्ववर्ती त्रैमासों के रूपपत्र, कर,ब्याज व बिलम्ब शुल्क नियत समय पर प्रस्तुत/जमा कर दिया गया हो।

10–जनरेट किए गए फार्म तथा उसके अनुलग्नक के प्रिन्ट में सिस्टम द्वारा जनरेट unique serial number के अलावा Bar Code उत्तराखण्ड सरकार का Logo (Water mark के रूप में) तथा वाणिज्य कर विभाग का Logo तथा Circular Electronic Seal होगी । विस्तृत विवरण अनुलग्नक में अंकित होंगे। फार्म एवं उसके अनुलग्नक की sample प्रति संलग्न है।

11–जनरेट किए गए फार्म को विकेता के कर निर्धारण अधिकारी एवं विक्रेता व्यापारी द्वारा वाणिज्य कर विभाग उत्तराखण्ड की Website के पोर्टल से सत्यापित किया जा सकेगा।

12–उत्तराखण्ड वन विकास निगम से की गई खरीद के विरूद्व जनरेट किये जाने वाले फार्म 'XI' को छोडकर अन्य समस्त फार्म 'XI' केवल त्रैमास वार सम्व्यवहारों के लिए जनरेट हो सकेगा। एक फार्म 'XI' में दो अथवा दो से अधिक त्रैमास के सम्व्यवहारों को मिश्रित करना अनुमन्य नहीं होगा परन्तु यदि विकेता द्वारा किसी माल का बीजक एक त्रैमास में जारी किया गया है और केता द्वारा उस माल के कय को अगले त्रैमास में लेखाबद्व किया गया है तो ऐसे सम्व्यवहार के लिए अलग से फार्म जनरेट किया जा सकेगा।

13– किसी त्रैमास के प्रारम्भ के 9 माह की अवधि के अन्दर ही फार्म 'XI' जनरेट किया जा सकेगा।

14– यदि ब्यौहारी किसी त्रैमास के लिए फार्म 'XI' जनरेट कर लेता है तो उसे उस त्रैमास का संशोधित रूपपत्र दाखिल करने का अधिकार नहीं होगा। अतः फार्म 'XI' जनरेशन की बाधा रहित सुविधा प्राप्त करने के लिए व्यौहारी से अपेक्षित है कि वह अपना रिटर्न एवं अनुलग्नक भरने में अत्यधिक सावधानी बरते और कोई भी Error अथवा Omission न करे।

15– उक्त के अलावा फार्म जनरेट करने की वे शर्तें भी होगी जैसा कि विभागीय वैबसाइट पर इस हेतु प्रयोग किय गए सॉफ्टवेयर में निहित होगा।

COMMERCIAL TAX DEPARTMENT, UTTARAKHAND

FORM -XI

(See sub-rule(1) of Rule 23)

Form of Declaration by a dealer holding a Reconition Certificate

Form Serial No. : UKXI021400001627
Issuing Office : Dehradun-Sector1 AC I
Period : Q2(July-Sep)
Financial Year : 2013-2014

Original

Purchasing Dealer Details :

Office of issue	:	Dehradun-Sector1 AC I
Date of issue	:	19/02/2014
Name of Purchaser	:	M/S TEST DEALER
Address of the Purchasing Dealer	:	TEST ADDRESS
TIN/ Recognition Certificate number	:	05000000022
Effective Date of Recognition Certificate :		01/12/2010

वाणिज्य कर विभाग दिनांक 19/02/2014 उत्तराखण्ड

To,

Name of the Seller	:	M/S d.f.o.(south)champawat
Address of the Seller	:	champawat
Office of the Seller	:	Tanakpur AC I
TIN of the Seller	:	05005799655

Certified that the goods specified below purchased from you are for use as Capital Goods and raw material in the manufacture of goods or in the packing of such manufactured goods and that the said manufactured goods would be sold in the manner contemplated in sub-section (7) of section 4.

Certified that I hold the Recognition Certificate no.**05000000022** issued to me/us by the Assistant Commissioner, Sector Circle and the same is valid with effect from **01/12/2010**

Certified that I/we carry on business under the name and style of **M/S TEST DEALER** at **TEST ADDRESS**

(All the Details/Particulars are attached as Annexure "A")

This Form of declaration is valid for : **Rs. 1341800.00** (Value before tax)

Amount in Words : **Rupees Thirteen Lakh Forty One Thousand Eight Hundreds Only**

No of Invoices : **2**

The above statements are true to the best of my knowledge and belief.

Signature .....
Name of the person signing the declaration .....
Status of the person signing the declaration in relation to the dealer .....
Place .....

Note - To be furnished to the prescribed authority in accordance with the Rule 23 of Value Added Tax Rule, 2005. This form is generated/printed by the purchaser. You are advised to verify contents of this form by giving Fom Serial No at URL http://comtax.uk.gov.in under "Verify Form" Link

Note: to be issued to the selling dealer.

COMMERCIAL TAX DEPARTMENT, UTTARAKHAND

Form Serial No. : UKXI021400001627
Issuing Office : Dehradun-Sector1 AC I
Period : Q2(July-Sep)
Financial Year : 2013-2014

FORM -XI

(See sub-rule(1) of Rule 23)

Form of Declaration by a dealer holding a Reconition Certificate

Duplicate

Purchasing Dealer Details :

Office of issue	:	Dehradun-Sector1 AC I
Date of issue	:	19/02/2014
Name of Purchaser	:	M/S TEST DEALER
Address of the Purchasing Dealer	:	TEST ADDRESS
TIN/ Recognition Certificate number	:	05000000022
Effective Date of Recognition Certificate :		01/12/2010

वाणिज्य कर विभाग
दिनांक
19/02/2014
उत्तराखण्ड

To,

Name of the Seller	:	M/S d.f.o.(south)champawat
Address of the Seller	:	champawat
Office of the Seller	:	Tanakpur AC I
TIN of the Seller	:	05005799655

Certified that the goods specified below purchased from you are for use as Capital Goods and raw material in the manufacture of goods or in the packing of such manufactured goods and that the said manufactured goods would be sold in the manner contemplated in sub-section (7) of section 4.

Certified that I hold the Recognition Certificate no.**05000000022** issued to me/us by the Assistant Commissioner, Sector Circle and the same is valid with effect from **01/12/2010**

Certified that I/we carry on business under the name and style of **M/S TEST DEALER** at **TEST ADDRESS**

(All the Details/Particulars are attached as Annexure "A")

This Form of declaration is valid for : **Rs. 1341800.00** (Value before tax)

Amount in Words : Rupees Thirteen Lakh Forty One Thousand Eight Hundreds Only

No of Invoices : 2

The above statements are true to the best of my knowledge and belief.

Signature .....
Name of the person signing the declaration .....
Status of the person signing the declaration in relation to the dealer .....
Place .....

Note - To be furnished to the prescribed authority in accordance with the Rule 23 of Value Added Tax Rule, 2005. This form is generated/printed by the purchaser. You are advised to verify contents of this form by giving Fom Serial No at URL http://comtax.uk.gov.in under "Verify Form" Link .

Note: to be issued to the selling dealer.

COMMERCIAL TAX DEPARTMENT, UTTARAKHAND

FORM -XI

(See sub-rule(1) of Rule 23)

Form of Declaration by a dealer holding a Reconition Certificate

Form Serial No. : UKXI021400001627
Issuing Office : Dehradun-Sector1 AC I
Period : Q2(July-Sep)
Financial Year : 2013-2014

Counter Foil

Purchasing Dealer Details :

Office of issue	:	Dehradun-Sector1 AC I
Date of issue	:	19/02/2014
Name of Purchaser	:	M/S TEST DEALER
Address of the Purchasing Dealer	:	TEST ADDRESS
TIN/ Recognition Certificate number	:	05000000022
Effective Date of Recognition Certificate :		01/12/2010

वाणिज्य कर विभाग दिनांक 19/02/2014 उत्तराखण्ड

To,

Name of the Seller	:	M/S d.f.o.(south)champawat
Address of the Seller	:	champawat
Office of the Seller	:	Tanakpur AC I
TIN of the Seller	:	05005799655

Certified that the goods specified below purchased from you are for use as Capital Goods and raw material in the manufacture of goods or in the packing of such manufactured goods and that the said manufactured goods would be sold in the manner contemplated in sub-section (7) of section 4.

Certified that I hold the Recognition Certificate no.**05000000022** issued to me/us by the Assistant Commissioner, Sector Circle and the same is valid with effect from **01/12/2010**

Certified that I/we carry on business under the name and style of **M/S TEST DEALER** at **TEST ADDRESS**

(All the Details/Particulars are attached as Annexure "A")

This Form of declaration is valid for : **Rs. 1341800.00** (Value before tax)

Amount in Words : **Rupees Thirteen Lakh Forty One Thousand Eight Hundreds Only**

No of Invoices : **2**

The above statements are true to the best of my knowledge and belief.

Signature .....
Name of the person signing the declaration .....
Status of the person signing the declaration in relation to the dealer .....
Place .....

Note - To be furnished to the prescribed authority in accordance with theRule 23 of Value Added Tax Rule, 2005. This form is generated/printed by the purchaser. You are advised to verify contents of this form by giving Fom Serial No at URL http://comtax.uk.gov.in under "Verify Form" Link

Note: to be retained by the purchasing dealer.

Form Serial No. : UKXI021400001627
Issuing Office :Dehradun-Sector AC I
Period :Q2(July-Sep)
Financial Year :2013-2014

ANNEXURE-"A"
(Transaction Detail in relation to Form-XI)

Original

Name of the Seller	:	M/S d.f.o.(south)champawat
TIN/RC of the Seller	:	05005799655
Name of Purchasing and Issuing Dealer	:	M/S TEST DEALER
Tin of the Purchasing Dealer	:	05000000022

Invoice Details :

SN	Invoice No.	Date of Invoice	Value before Tax	Description of Goods	Quantity /Weight.
1	1049	30/09/2013	481,356.00	Resin	84.99-Quintal
2	1065	30/09/2013	860,440.00	Resin	112.7-Quintal
Total			1,341,796.00		

Debit Credit Note Details :

SN	CN/DN No	CN/DN Date	Invoice No	Invoice Date	Basic Value	Tax Amount	Type	Reason
1	123	05/02/2014	1049	30/09/2013	4.00	0.00	Credit	Due to Purchase Return
Total					4.00	0.00		

Net Value Of Purchase : **Rs. 1341800** (Value before Tax)

The above statements are true to the best of my knowledge and belief.

Signature
Name of the person signing the declaration .....
Status of the person signing the declaration in relation to the dealer .....
Place .....

Note: to be issued to the selling dealer.

Form Serial No. : UKXI021400001627
Issuing Office : Dehradun-Sector1 AC I
Period :Q2(July-Sep)
Financial Year :2013-2014

ANNEXURE-"A"
(Transaction Detail in relation to Form-XI)

Duplicate

Name of the Seller	:	M/S d.f.o.(south)champawat
TIN/RC of the Seller	:	05005799655
Name of Purchasing and Issuing Dealer	:	M/S TEST DEALER
Tin of the Purchasing Dealer	:	05000000022

Invoice Details :

SN	Invoice No.	Date of Invoice	Value before Tax	Description of Goods	Quantity /Weight.
1	1049	30/09/2013	481,356.00	Resin	84.99-Quintal
2	1065	30/09/2013	860,440.00	Resin	112.7-Quintal
Total			1,341,796.00		

Debit Credit Note Details :

SN	CN/DN No	CN/DN Date	Invoice No	Invoice Date	Basic Value	Tax Amount	Type	Reason
1	123	05/02/2014	1049	30/09/2013	4.00	0.00	Credit	Due to Purchase Return
Total					4.00	0.00		

Net Value Of Central Purchase : **Rs. 1341800.00** (Value before Tax)

The above statements are true to the best of my knowledge and belief.

Signature .....
Name of the person signing the declaration .....
Status of the person signing the declaration in relation to the dealer .....
Place .....

Note: to be issued to the selling dealer.

Form Serial No. : UKXI021400001627
Issuing Office :Dehradun-Sector1 AC I
Period :Q2(July-Sep)
Financial Year :2013-2014

ANNEXURE-"A"
(Transaction Detail in relation to Form-XI)

Counter Foil

Name of the Seller	:	M/S d.f.o.(south)champawat
TIN/RC of the Seller	:	05005799655
Name of Purchasing and Issuing Dealer	:	M/S TEST DEALER
Tin of the Purchasing Dealer	:	05000000022

Invoice Details :

SN	Invoice No.	Date of Invoice	Value before Tax	Description of Goods	Quantity /Weight.
1	1049	30/09/2013	481,356.00	Resin	84.99-Quintal
2	1065	30/09/2013	860,440.00	Resin	112.7-Quintal
Total			1,341,796.00		

Debit Credit Note Details :

SN	CN/DN No	CN/DN Date	Invoice No	Invoice Date	Basic Value	Tax Amount	Type	Reason
1	123	05/02/2014	1049	30/09/2013	4.00	0.00	Credit	Due to Purchase Return
Total					4.00	0.00		

Net Value Of Purchase : **Rs. 1341800.00** (Value before Tax)

The above statements are true to the best of my knowledge and belief.

Signature
Name of the person signing the declaration .....
Status of the person signing the declaration in relation to the dealer .....
Place .....

Note: to be retained by the purchasing dealer.

(फार्म–अनुभाग)

विज्ञप्ति

28 फरवरी, 2014 ई0

पत्रांक 5802/आयु0क0उत्तरा0/फार्म–अनु0/2013–14/केन्द्रीय फार्म–सी/खोया/चोरी/नष्ट हुए/दे0दून–केन्द्रीय बिक्रीकर (उत्तराखण्ड) नियमावली–2006 के नियम–8(13) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके, मैं, आयुक्त कर, उत्तराखण्ड निम्नलिखित सूची में उल्लिखित ''फार्म–सी'' जिनके खो जाने/चोरी हो जाने अथवा नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त हुई है, को सार्वजनिक प्रकाशनार्थ अनुमति प्रदान करते हुए इन फार्म्स के प्रयोग को अवैध घोषित करता हूँ।

क्र0 सं0	व्यापारी का नाम, पता व टिन नं0	खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्मों की संख्या	खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्मों की सीरीज/क्रमांक	फार्म को अवैध घोषित किये जाने का कारण
1.	सर्वश्री शील चन्द्र फ्लोर मिल्स (प्रा0) लि0, हल्द्वानी, टिन नं0–05001666291	(Form-C)--02	U.K.VAT/C-2007 1018431, 1018432	खोने के कारण
2.	सर्वश्री हिमालया स्टोन इण्डस्ट्री, मोती नगर, बरेली रोड़ हल्द्वानी, टिन नं0–05001526223	(Form-C)--01	U.K.VAT/C-2007 1011736	खोने के कारण

दिलीप जावलकर,
आयुक्त कर, उत्तराखण्ड।

NOTIFICATION

February 28, 2014

No. 5802/Com.Tax/Form/Lost/Stolen/Destroyed/2013-14/D.Dun--Whereas, information have been received regarding Lost/Stolen/Destroyed "Form-C" enlisted below.

I, Commissioner Tax, Uttarakhand in exercise of the powers conferred by Rule 8(13) of Central Sales Tax (Uttarakhand) Rules 2006, hereby declare that "Form-C" bearing serial no. as listed below, should be considered as invalid for all purposes.

Sl. No.	Name, Address and Tin No. of Dealers	No. of Lost/Stolen/ Destroyed Forms	Sl.No. of Lost/Stolen or Destroyed Forms	Reasons for declaring the forms obsolete or invalid
1.	M/s Sheel Chand Flour Mills (P.) Ltd. Haldwani. Tin No.-05001666291	(Form-C)–02	U.K..VAT/C-2007 1018431, 1018432	Lost
2.	M/s Himalaya Stone Industry, Moti Nagar, Barelly Road, Haldwani. Tin No.-05001526223	(Form-C)–01	U.K.VAT/C-2007 1011736	Lost

DILIP JAWALKAR,
Commissioner Tax, Uttarakhand.

(विधि–अनुभाग)

विज्ञप्ति

28 फरवरी, 2014 ई0

पत्रांक 5803/आयु0कर उत्तरा0/वाणि0क0/विधि–अनुभाग/पत्रा0 03/13–14/देहरादून–ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्य0) वाणिज्य कर, काशीपुर सम्भाग, काशीपुर के पत्र संख्या–3300/ज्वा0कमि0 (कार्य0) वा0क0/13–14/वि0अनु0/पंजी0नि0/दिनांक 18–02–2014 द्वारा सूचित किया गया है कि असिस्टेंट कमिश्नर, वाणिज्य कर, किच्छा के पत्र सं0–1492/दिनांक 17–02–2014 द्वारा 121 व्यापारियों द्वारा वर्ष 2013–2014 (प्रथम तिमाही) के रूपपत्र दाखिल न किये जाने के कारण पंजीयन मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा–18(1)(0) के अन्तर्गत दिनांक 05–02–2014 को निरस्त करते हुये, अवगत कराया गया है।

उक्त निरस्त पंजीयन (टिन) से सम्बन्धित कुल 121 व्यापारियों की सूची संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित व्यापारियों द्वारा की जाने वाली व्यापारिक गतिविधियाँ पंजीयन निरस्त की तिथि से अवैध मानी जाय।

प्रेषक,

ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर,
काशीपुर सम्भाग, काशीपुर।

सेवा में,

आयुक्त कर,
(विधि–अनुभाग)
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक 3300/ज्वा0कमि0(कार्य0)वा0क0का0/13–14/वि0–अनु0/पंजी0नि0/दि0 18 फरवरी, 2014

महोदय,

निवेदन है कि काशीपुर संभाग, काशीपुर के अन्तर्गत आने वाले कार्यालय असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर किच्छा के पत्र संख्या–1492 दिनांक 17–02–2014 द्वारा अवगत करया गया है कि 121 व्यापारियों द्वारा वर्ष 2013–2014 (प्रथम तिमाही) के रूपपत्र दाखिल न किये जाने के कारण पंजीयन मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा–18(1)(0) के अन्तर्गत दिनांक 05–02–2014 को निरस्त कर दिये गये हैं। सूचना आपकी सेवा में प्रेषित की जा रही है।

राकेश टण्डन,
ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्यकर,
काशीपुर सम्भाग, काशीपुर।

प्रेषक,

असिस्टेन्ट कमिश्नर वाणिज्य कर,
किच्छा।

सेवा में,

ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्य0) वाणिज्य कर,
काशीपुर सम्भाग, काशीपुर।

पत्रांक 1492/असि0कमि0वा0क0,कि0/2013–14/दि0 17–02–2014

महोदय,

निवेदन इस प्रकार है कि वर्ष 2013–2014 (प्रथम तिमाही) के रूप पत्र दाखिल न किये जाने के कारण इस कार्यालय में पंजीकृत 121 व्यापारियों के पंजीयन मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा–18(1)(0) के अन्तर्गत दिनांक 05–02–2014 को निरस्त किये गये हैं, जिसकी सूची इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु आपको सादर प्रेषित की जा रही है।

धारा–18(1)(0) के अन्तर्गत निरस्त किये गये व्यापारियों की सूची::–

क0सं0	मु0सू0सं0	टिन न0	व्यापारी का नाम	पंजीयन निरस्त करने का दिनांक
1	A-001	05004390730	अजीत आटो स्पेयर्स किच्छा	5/2/2014
2	A-033	05007923955	अजीत इन्टरप्राइजेज, किच्छा	5/2/2014
3	A-129	05011271619	ए0 एन0 जी0 इन्टरप्राइजेज, किच्छा	5/2/2014
4	A-130	05011442824	अमन इण्डस्टीज, किच्छा	5/2/2014
5	A-140	05011763021	अरोरा फूडस, किच्छा	5/2/2014
6	A-145	05011952753	अरुणा इन्टरप्राइजेज, किच्छा	5/2/2014
7	A-147	05011848769	आकृति इन्टरप्राइजेज, किच्छा	5/2/2014
8	A-156	05012525732	ए0 टू0 जेड स्कैप ट्रैडर्स, किच्छा	5/2/2014
9	A-157	05012632432	अकरम सैफी किच्छा	5/2/2014
10	A-158	05008603634	एपैक्स सोल्यूशन, किच्छा	5/2/2014
11	B-068	05010140987	बालाजी इण्डस्ट्रीज, किच्छा	5/2/2014
12	B-070	05010258260	भूमि एसोसियेट्स, किच्छा	5/2/2014
13	B-074	05010726382	भारत टेन्ट हाऊस, किच्छा	5/2/2014
14	B-084	05010320825	वेस्ट वैल्यू इलैक्ट्रोनिक्स प्रा0 लि0 किच्छा	5/2/2014
15	C-013	05004420606	छेदा लाल कॉन्ट्रैक्टर, किच्छा	5/2/2014
16	D-023	05004429821	दीक्षा इन्टरप्राइजेज, किच्छा	5/2/2014
17	D-038	05009263234	धन्जू कान्टैक्टर, किच्छा	5/2/2014
18	D-043	05009954941	दीप कान्टैक्टर, किच्छा	5/2/2014
19	D-053	05011012144	देव एग्री फुडस प्रोडक्स, किच्छा	5/2/2014
20	D-064	05012123764	दुर्गा टैक्नोलोजी, किच्छा	5/2/2014
21	F-009	05008037057	एफ0 के0 इलैक्टिक इण्ड0, किच्छा	5/2/2014
22	F-015	05011215650	फौजी ढाबा, किच्छा।	5/2/2014

क0सं0	मु0सू0सं0	टिन नं0	व्यापारी का नाम	पंजीयन निरस्त करने का दिनांक
23	F-016	05011461157	एफ0के0 एसोसियेटस, किच्छा।	5/2/2014
24	G-004	05004447184	गुरुनानक ट्रेडिंग कम्पनी, किच्छा	5/2/2014
25	G-019	05008358903	गुरूतेग बहादुर इण्डस्ट्रीज, किच्छा।	5/2/2014
26	G-027	05004440006	गुडविल एण्ड कम्पनी, किच्छा।	5/2/2014
27	G-028	05004444662	गुरूकृपा आटो स्पेयर्स, किच्छा।	5/2/2014
28	G-047	05006254003	गायत्री एजेन्सी, किच्छा	5/2/2014
29	G-061	05010483785	गंगवार एसोसियैटस, किच्छा	5/2/2014
30	G-067	05010723569	ग्रीन माउन्टेन इण्डस्ट्रीज, किच्छा	5/2/2014
31	G-072	05011487250	गीता कन्स्ट्रक्शन, किच्छा	5/2/2014
32	G-074	05011705112	गोखरन सिंह कान्टैक्टर, किच्छा	5/2/2014
33	G-076	05011940046	गुरमीत बैट्री सर्विसेज, किच्छा।	5/2/2014
34	G-081	05012378971	गुरुमुख सिंह कोन्टैक्टर, किच्छा	5/2/2014
35	G-087	05012797041	गौस्वामी कैटर्स, किच्छा	5/2/2014
36	G-098	05010789335	गोविन्द इंजीनियरिग वर्क्स, किच्छा	5/2/2014
37	H-013	05004448154	हमीदुल्ला जमा खां ठेकेदार, किच्छा	5/2/2014
38	H-030	05009043238	हेमन्त एसोसियेटस, किच्छा।	5/2/2014
39	H-033	05009886265	एच0एन0एस0 ग्रुप, किच्छा	5/2/2014
40	H-038	05011523819	हिन्द इन्जीनियरिंग, किच्छा।	5/2/2014
41	I-003	05004454944	इन्डो बायो एग्रो इण्ड0 किच्छा	5/2/2014
42	I-014	05010590388	इमाद पैकिग प्रोडक्टस, किच्छा	5/2/2014
43	J-005	05004463189	जय दुर्गा ट्रेडर्स, किच्छा।	5/2/2014
44	J-041	05008934792	जैश टायर हाऊस, किच्छा।	5/2/2014
45	J-060	05011705209	जसमीत मोटर्स, किच्छा।	5/2/2014
46	J-063	05012231725	जे0 जी0 ट्रेडर्स, किच्छा।	5/2/2014
47	K-003	05004468039	कैलाश चन्द आनन्द कुमार, किच्छा।	5/2/2014
48	K-009	05004474247	किच्छा फ्यूल ऑयल डिस्ट्रीब्यूटर्स किच्छा।	5/2/2014
49	K-099	05010938909	कक्कर आटो सेल्स, किच्छा।	5/2/2014
50	K-110	05011735085	खान एण्ड सन्स, किच्छा	5/2/2014
51	K-116	05012235023	किसान एग्रो सेल्स, किच्छा	5/2/2014
52	L-009	05007038830	लक्खा एंड कम्पनी, किच्छा	5/2/2014
53	M-002	05011632944	मण्डल एजेन्सी, किच्छा।	5/2/2014
54	M-125	05012055379	मलिक एल्युमिनियम, फैब्रीकैटर्स किच्छा।	5/2/2014
55	M-132	05012343372	मोहन इन्जीनियरिंग एण्ड इलैक्ट्रीक वर्क्स किच्छा	5/2/2014
56	N-038	05005742328	नेशनल म्यूजिक किच्छा।	5/2/2014
57	N-052	05008549411	नूरी ट्रेडर्स, किच्छा।	5/2/2014
58	N-059	05009799062	न्यू सुमेध इन्टरपाइजेज किच्छा।	5/2/2014
59	N-072	05011050653	एन0 ए0 ट्रेडर्स, किच्छा।	5/2/2014
60	N-082	05012485283	नरेन्द्रा स्वीट्स एण्ड कैटर्स, किच्छा।	5/2/2014

क0सं0	मु0सू0सं0	टिन नं0	व्यापारी का नाम	पंजीयन निरस्त करने का दिनांक
61	O-002	05011478908	ओम ट्रेडर्स, किच्छा।	5/2/2014
62	O-018	05012097865	ओम सॉई कैमिकल, किच्छा।	5/2/2014
63	P-033	05007988266	प्रताप टेडर्स एंड कन्सटक्शंन, किच्छा	5/2/2014
64	P-046	05009755606	प्रोसेस कलर, किच्छा।	5/2/2014
65	Q-004	05004519449	कुरेशी कान्टेक्टर एंड कोलोनाइजर, किच्छा	5/2/2014
66	R-018	05004534678	रियासत अली खान ठेकेदार, किच्छा।	5/2/2014
67	R-027	05004524493	राज ट्रेडर्स, किच्छा।	5/2/2014
68	R-029	05004533029	रवि टेंडर्स, किच्छा	5/2/2014
69	R-055	05006388154	रामा फास्फेट लि0, किच्छा।	5/2/2014
70	R-058	05006693898	राधे इन्टरप्राईजेज, किच्छा।	5/2/2014
71	R-067	05008036184	राशिद अहमद कॉन्ट्रैक्टर, किच्छा।	5/2/2014
72	R-074	05008959042	राजेश आयरन स्टोर, किच्छा।	5/2/2014
73	R-078	05008959139	राजा इन्टरप्राईजेज, किच्छा।	5/2/2014
74	R-099	05012519330	रॉयल टेलीकॉम, किच्छा।	5/2/2014
75	R-101	05010593880	राजवंशी मिश्रा कॉन्ट्रैक्टर, किच्छा।	5/2/2014
76	R-106	05011572028	आर0 वी0 इण्टरप्राईजेज, किच्छा।	5/2/2014
77	R-108	05011719856	राकेश कुमार शर्मा, किच्छा।	5/2/2014
78	R-120	05012534171	राजा फैब्रीकेशन, किच्छा।	5/2/2014
79	S-023	05004537006	एस0 ए0 एजेन्सी, किच्छा।	5/2/2014
80	S-029	05004570859	सुमित आटो मोबाइल्स, किच्छा।	5/2/2014
81	S-034	05004557473	शिवेन्द्र बहादुर सिंह कॉन्ट्रैक्टर, किच्छा।	5/2/2014
82	S-047	05004564748	सिंह एसोसियेट्स, किच्छा।	5/2/2014
83	S-066	05009762784	शिवम इन्टरप्राइजेज, किच्छा	5/2/2014
84	S-074	05006563724	सक्सेना कन्स्ट्रक्शन, किच्छा।	5/2/2014
85	S-096	05004557958	श्री बालाजी पैकिंग, किच्छा।	5/2/2014
86	S-102	05004543796	सलीम अहमद कॉन्ट्रैक्टर, किच्छा।	5/2/2014
87	S-122	05006837555	शिवा एसोसियेट्स, किच्छा।	5/2/2014
88	S-139	05007828410	स्टार ट्रेडर्स, किच्छा।	5/2/2014
89	S-145	05004546706	सतगुरू इण्टरप्राईजेज, किच्छा।	5/2/2014
90	S-173	05008063538	सनन्वाइरी इन्जीनियरिंग कम्पनी, किच्छा।	5/2/2014
91	S-198	05012917709	एस0ए0 इन्टरप्राइजेज, किच्छा	5/2/2014
92	S-210	05010217326	श्री ओम सॉई कन्सट्रक्शन एण्ड जनरल सप्लायर्स, किच्छा।	5/2/2014
93	S-212	05009671410	एस0 के0 आटो कम्पोनेन्ट, किच्छा।	5/2/2014
94	S-220	05010488344	शंकर टेन्ट हाऊस, किच्छा।	5/2/2014

क0सं0	मु0सू0सं0	टिन नं0	व्यापारी का नाम	पंजीयन निरस्त करने का दिनांक
95	S-226	05010950355	सिन्धी टैन्ट हाउस, किच्छा	5/2/2014
96	S-229	05007718218	एस0 के0 ट्रेडर्स, किच्छा।	5/2/2014
97	S-255	05011279088	श्री कृष्णा इण्डस्ट्रीज, किच्छा।	5/2/2014
98	S-256	05011279185	सेन्पीर्टन इन्जीनियरिंग इण्डिया प्रा0 लि0, किच्छा	5/2/2014
99	S-263	05011451069	सैफी ट्रेडिंग कम्पनी, किच्छा।	5/2/2014
100	S-264	05011414888	श्रेष्ठ इन्टरप्राईजेज, किच्छा।	5/2/2014
101	S-266	05009308436	साई इन्टरप्राईज़ेज, किच्छा।	5/2/2014
102	S-271	05011605396	शर्मा मिनि राईस मिल, किच्छा।	5/2/2014
103	S-286	05011241840	श्री सॉई ट्रेडर्स, किच्छा।	5/2/2014
104	S-289	05012084479	श्री बालाजी इण्टरप्राईजेज, किच्छा।	5/2/2014
105	S-291	05012237157	सूर्या कैटर्स, किच्छा।	5/2/2014
106	S-292	05012236672	शाहजी इण्टरप्राईजेज, किच्छा।	5/2/2014
107	S-293	05012971253	शाहजी फुटवियर किच्छा।	5/2/2014
108	S-328	05012518748	स्टार स्ओन एण्ड डस्ट सप्लायर्स, किच्छा।	5/2/2014
109	S-328	05012682290	साक्षी टेडर्स, किच्छा	5/2/2014
110	S-329	05010215483	साई नाथ हार्डवेयर, किच्छा	5/2/2014
111	T-008	05004581432	त्यागी एग्रो इण्डस्ट्रीज, किच्छा।	5/2/2014
112	T-016	05006406487	तुषार फिलिंग स्टेशन , किच्छा।	5/2/2014
113	U-030	05011910655	उत्तराखण्ड आनलाइन रिटेल एण्ड कन्सलटिंग इण्टरप्राईजेज, किच्छा।	5/2/2014
114	U-033	05012338716	यू0 के0 ट्रेडर्स, किच्छा।	5/2/2014
115	V-005	05008680749	वसीम अहमद कोन्टैक्टर	5/2/2014
116	V-010	05008934986	विरेन्द्र कुमार कॉन्ट्रैक्टर्स, किच्छा।	5/2/2014
117	V-041	05009942719	वी0एस0 ट्रेडिंग कम्पनी, किच्छा।	5/2/2014
118	V-044	05010590485	विशाल ट्रेडर्स, किच्छा।	5/2/2014
119	V-050	05012154513	विजन इन्टरप्राईजेज, किच्छा।	5/2/2014
120	V-052	05004592102	विनोद राय कान्टेक्टर, किच्छा	5/2/2014
121	W-004	05012917806	वेलकम डिनर एण्ड़ लन्च पैक, किच्छा।	5/2/2014

प्रेम प्रकाश शुक्ला,
असिस्टेन्ट कमिश्नर वाणिज्य कर,
किच्छा।

दिलीप जावलकर,
आयुक्त कर, उत्तराखण्ड।

(फार्म–अनुभाग)

विज्ञप्ति

फरवरी 24, 2014

पत्रांक 5742/आयु0कर, उत्तरा0/फार्म–अनु0/2013–14/आ0घो0प0/खोया/चोरी/नष्ट हुए/दे0दून– उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर नियमावली–2005 के नियम–30(12) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके, मैं, एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तराखण्ड, निम्नलिखित सूची में उल्लिखित प्रान्तीय फार्म–16/11 एवं ओ0सी0 स्टैम्प जिनके खो जाने/चोरी हो जाने/मिसिंग हो जाने अथवा नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में नियम–30 के उपनियम (9) के अन्तर्गत सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं, को तत्कालिक प्रभाव से अवैध घोषित करता हूँ:–

क्र0 सं0	व्यापारी का नाम व पता	खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्मों/स्टैम्प की संख्या	खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्मों/स्टैम्प की सीरीज व क्रमांक	फार्म को अवैध घोषित किये जाने का कारण
1.	सर्वश्री सैप इंडिया प्रा0लि0, नं0–50, मौहब्बेवाला इण्डस्ट्रीज एरिया, सहारनपुर रोड़, देहरादून, टिन–05007885931	प्ररूप–XVI (01)	U.K.VAT-M2012 1987042	खोने के कारण
2.	सर्वश्री शक्ति ऑटोमैक, 7ए श्रीनाथ नगर ज्वालापुर, हरिद्वार, टिन–05012924984	प्ररूप–XVI (01)	U.K.VAT-M2012 1279091	खोने के कारण
3.	सर्वश्री रूकमणी आयरन प्रा0लि0, इण्ड0 एरिया बहादराबाद, हरिद्वार, टिन–05001906269	प्ररूप–XVI (03)	U.K.VAT-M2012 3617773, 3617774, 3617904	खोने के कारण
4.	सर्वश्री श्री ऑयल मिल्स, ग्राम जगजीतपुर कनखल, हरिद्वार, टिन–05011024851	प्ररूप–XVI (01)	U.K.VAT-M2012 1117191	खोने के कारण
5.	सर्वश्री बालाजी पैकेजिंग इण्डस्ट्रीज, 16 बालाजी एन्क्लेव, टिहरी विस्थापित कॉलोनी शिवालिक नगर, हरिद्वार, टिन–05009866671	प्ररूप–XVI (02)	U.K.VAT-M2012 1278699, 1278701	खोने के कारण

पीयूष कुमार,
एडिशनल कमिश्नर वाणिज्यकर,
मुख्यालय, देहरादून।

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, टनकपुर (चम्पावत)

आदेश

24 जनवरी, 2014 ई0

पत्रांक 107/पंजीयन निरस्त/2013–वाहन सं0 UP25G-9869 JEEP TAXI के वाहन स्वामी श्री अमित पुत्र श्री शंकर दत्त, निवासी सीमेन्ट रोड़, वार्डनं0–8, टनकपुर, जिला चम्पावत द्वारा दिनांक 06–11–2014 को इस कार्यालय में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि उनका उपरोक्त वाहन अत्यन्त पुराना हो चुका था,

संचालन योग्य नहीं थी। फलतः उनके द्वारा अपने वाहन को स्क्रैप में तब्दील कर दिनांक 23–01–2014 को बेच दिया गया है। वाहन स्वामी द्वारा इस आशय का शपथ पत्र दिनांक 24–01–2014 को प्रस्तुत किया है। वाहन स्वामी द्वारा उक्त वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु आवेदन किया गया है।

अतः, केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के रूप में, मैं, विमल पाण्डेय् सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी वाहन संख्या UP25G-9869 JEEP TAXI चैसिस नं0 4210S7GWZ401048 इंजन नं0 497SP27GWZ891337 के पंजीयन को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

पंजीयन अधिकारी,
उप संभागीय परिवहन कार्यालय,
टनकपुर (चम्पावत)।

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर

कार्यालय आदेश

20 फरवरी, 2014 ई0

पत्रांक 246/टी0आर0/पंजी0नि0/यूपी22ए–9652/2013–वाहन संख्या यूपी22ए–9652 मॉडल 1987 चेसिस संख्या 364052853950 इंजन संख्या 692D02870059 इस कार्यालय में श्री अमर सिंह पुत्र श्री दाता राम, निवासी म0नं0 375, इन्द्रा कालोनी, वार्ड नं0 3, रूद्रपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है। वाहन स्वामी ने दिनांक 20–02–2014 को आवेदन पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन मार्ग पर संचालन योग्य न रहने के कारण वाहन कबाड़ी को कबाड़ में बेच दी है तथा कबाड़ी द्वारा वाहन को काट कर समाप्त कर दिया गया है साथ ही वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 28–02–2014 जमा है। वाहन फाईनैन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है तथा वाहन का मार्ग परमिट सचिव सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण हल्द्वानी द्वारा समर्पण/निरस्त/जारी करने हेतु उनके कार्यालय की आख्या अंकित है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, नन्द किशोर पंजीयन अधिकारी मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा–55 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये वाहन संख्या यूपी22ए–9652 का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या 364052853950 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

कार्यालय आदेश

25 फरवरी, 2014 ई0

पत्रांक 266/टी0आर0/पंजी0नि0/यूके06सीए–3117/2014–वाहन संख्या यूके06सीए–3117 (ट्राली) मॉडल 2011 चेसिस संख्या 11UK06012063 इस कार्यालय में श्री स्वर्ण सिंह पुत्र श्री कत्था सिंह, निवासी ग्राम दोहरा, पो0 गुसरी, सितारगंज, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है। वाहन स्वामी ने दिनांक 24–02–2014 को आवेदन पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन मार्ग पर संचालन योग्य न रहने के कारण वाहन कबाड़ी को कबाड़ में बेच दी है तथा कबाड़ी द्वारा वाहन को काट कर समाप्त कर दिया गया है साथ ही वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 28–02–2014 जमा है। वाहन फाईनैन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है तथा वाहन का मार्ग परमिट सचिव सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण हल्द्वानी द्वारा समर्पण/निरस्त/जारी करने हेतु उनके कार्यालय की आख्या अंकित है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, नन्द किशोर पंजीयन अधिकारी मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा–55 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये वाहन संख्या यूके06सीए–3117 (ट्राली) का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या 11UK06012063 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

कार्यालय आदेश

28 फरवरी, 2014 ई0

पत्रांक 273/टी0आर0/पंजी0नि0/डीएल1जी–3248/2013–वाहन संख्या डीएल1जी–3248 मॉडल 1990 चेसिस संख्या 364052512389 इंजन संख्या 692D02961783 इस कार्यालय में श्री परवेश बब्बर पुत्र श्री वेद प्रकाश बब्बर, निवासी आदर्श कालोनी, रूद्रपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है। वाहन स्वामी ने दिनांक 12–02–2014 को आवेदन–पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन मार्ग पर संचालन योग्य न रहने के कारण वाहन कबाड़ी को कबाड़ में बेच दी है तथा कबाड़ी द्वारा वाहन को काट कर समाप्त कर दिया गया है साथ ही वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 28–02–2014 जमा है। वाहन फाईनैन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है तथा वाहन का मार्ग परमिट सचिव सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण हल्द्वानी द्वारा समर्पण/निरस्त/जारी करने हेतु उनके कार्यालय की आख्या अंकित है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, नन्द किशोर पंजीयन अधिकारी मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा–55 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये वाहन संख्या डीएल1जी–3248 का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या 364052512389 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

नन्द किशोर,
सहायक सम्भागीय, परिवहन अधिकारी (प्रशासन),
रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

(प्रशासन प्रभाग)

कार्यालय आदेश

20 फरवरी, 2014 ई0

संख्या 152/सू0एवंलो0सं0वि0(प्रशा0)–34/2007–तात्कालिक प्रभाव से सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड के प्रशासनिक अधिकारी, श्री शंकर दत्त लोहनी को, नियमित चयनोपरान्त, व्यवस्थाधिकारी, वेतन बैण्ड–2, वेतनमान ₹ 9300–34800, ग्रेड वेतन ₹ 4600 के रिक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नति करते हुए दो वर्ष के परिवीक्षण पर रखा जाता है।

2. उक्त पदोन्नति अस्थाई है। यदि उत्तर प्रदेश से उत्तराखण्ड राज्य के लिए आवंटित ज्येष्ठ कार्मिक द्वारा सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड में कार्यभार ग्रहण किया जाता है तो श्री शंकर दत्त लोहनी को प्रशासनिक अधिकारी के पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जायेगा।

सचिन कुर्वे,
महानिदेशक।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 18 हिन्दी गजट/346–भाग 1–क–2014 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 03 मई, 2014 ई0 (बैशाख 13, 1936 शक सम्वत्)

भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया

कार्यालय आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

पंचायती राज विभाग

21 फरवरी, 2014 ई0

सं0 1308/23–5(4)(2013–14)–जिला पंचायत, हरिद्वार द्वारा उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम–1961 की धारा–239(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला पंचायत, हरिद्वार द्वारा अपने अधिकार क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में ईंट भट्टा, टाईल्स, खपड़ा, चूना, सूर्खी भट्टी आदि को नियमित करने के उद्देश्य सम्बन्धी पूर्व शासकीय विज्ञप्ति सं0–1829/21–1061–90–92 द्वारा निर्मित उपविधियों को निरस्त करते हुये संशोधित उपविधियां बनाई गई हैं।

अत्एव, अधिनियम की धारा–242(2) की अपेक्षानुसार आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी उक्त संशोधित उपविधियों की शासकीय गजट में प्रकाशनार्थ पुष्टि करते हैं। यह उपविधियां उत्तराखण्ड के शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगी।

सं0– 1829/21–1061–90–92– उ0प्र0 क्षेत्र समिति तथा जिला परि ाद अधिनियम, 1961 की धारा 239 (2) के अन्तर्गत बनाई गई उपविधियों को निरस्त करते हुए सं शोधित उपनियम जनपद हरिद्वार के ग्रामीण क्षेत्रों में ईट भट्टा, टाईल्स, खपड़ा, चूना, सूर्खी भट्टी आदि को नियमित करने के उद्दे श्य से निम्नांकित उपनियम तैयार की गई है, जिन्हे सर्वसाधारण के सूचनार्थ समाचार पत्र में प्रका शित विज्ञप्ति के दिनांक से 30 दिन के अन्दर किसी व्यक्ति/संस्था/फर्म/कम्पनी आदि को कोई आपत्ति लिखित रूप में जिला पंचायत कार्यालय दिवस में दे सकते है, तीस दिन के बाद प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नही होगा, और इन उपनियिम को अन्तिम रूप देकर धारा 242 (2) के अन्तर्गत आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी को पु ष्ट हेतु भेजा जायेगा।

उपविधि

1– कोई भी व्यक्ति, कम्पनी, पार्टन्रशिप फर्म या अन्य संस्था, राजकीय विभाग राज्य सरकार द्वारा दिये गये ठेके के ठेकेदार या स्थानीय संस्थायें आदि जनपद हरिद्वार के ग्रामीण क्षेत्रों में ईट भट्टा, टाइल्स, खपड़ा, चूना व सूर्खी आदि बिना जिला परिषद, हरिद्वार के लाईसेन्स प्राप्त किये न बनायेगा, न फूकेगा और न बनवायेगा और न फुकवायेगा।

2– इन उपविधियों के अन्तर्गत दिया जाने वाला अनुज्ञा–पत्र निम्नलिखित शर्तो पर दिया जायेगा।

(अ) आबादी, सार्वजनिक इमारत, अस्पताल, विद्यालय ऐसी इमारते अथवा स्थान जो ज्वलनशील पदार्थ एकत्र करने के प्रयोग में लाये जाते है, ईट भट्टा, टाइल्स अथवा खपड़ा, चूना व सूर्खी 200 मीटर की दूरी के अन्दर न बनाया या फूका जायेगा न ही बनवाया या फुकवाया जायेगा।

(ब) सार्वजनिक राष्ट्रीय तथा राज्य मार्ग के मध्य से 50 मीटर अन्य मार्गो के मध्य से 25 मीटर के भीतर किसी भट्टे का निर्माण नही किया जायेगा, और न ईट तथा खपड़ा, चूना व सूर्खी आदि फूका जायेगा, और न उसके बनाने व निर्माण करने या फूकने का प्रयत्न किया जायेगा।

(स) 1– आम के बाग से पूर्व एंव पश्चिम दिशा में ईटो के भट्टे की दूरी 1.50 किलोमीटर (1500 मीटर) से कम नही होगी। उत्तर दक्षिण दिशा में यह दूरी 300 मीटर से कम नही होगी।

(स) 2– उपरोक्त निर्धारित दूरी केवल उन आम देशी या फसली बागों पर लागू होगी, जिसका क्षेत्रफल अकेले अथवा कई बागों का संयुक्त से ढाई एकड़ से कम न हो। आम के बाग तथा उसकी पोधशालाओं (नर्सरी) में कोई अन्तर नही समझा जायेगा। अपर मुख्य अधिकारी, लाईसेन्स अधिकारी होंगे।

3– इन उपविधियों के अन्तर्गत लाइसेन्स की अवधि प्रत्येक वर्ष 1 अक्टूबर से 30 सितम्बर तक होगी।

4– इन उपनियमों के किसी प्रकार के उल्लंघन पर लाइसेन्स अधिकारी को अनुज्ञा–पत्र निरस्त करने, निलम्बित करने अथवा स्थगित करने का अधिकार होगा।

5– लइसेन्स अधिकारी के किसी आदेश के विरूद्ध 30 दिन के अन्दर अध्यक्ष, जिला परिषद को अपील की जा सकती है। जिनका निर्णय अन्तिम एंव आध्यकारी होगा।

6– अनुज्ञा–पत्र में आवेदन निर्धारित रूप पत्र पर किया जायेगा, जो निर्धारित शुल्क देकर परिषद कार्यालय से प्राप्त किया जायेगा। इसका मूल्य नये भट्टे हेतु 100 रूपये प्रति आवेदन–पत्र तथा नवीनीकरण के लिये 50 रूपये प्रति आवेदन–पत्र होगा।

7– अनुज्ञा–पत्र आवेदन–पत्र के साथ ईट, टाइल्स, चूना आदि के बनाने या फूकने के स्थल का राजस्व अभिलेख जो 6 माह से पूर्व का नही प्रस्तुत करना होगा। यदि किसी दूसरे से स्थल लिया गया हो तो उसका इकरारनामा राजस्व विभाग द्वारा निर्धारित नियमों के अन्तर्गत कराकर प्रस्तुत करना होगा।

8– शुल्क निम्नलिखित होगा :– वार्षिक

(अ)	चिमनी ईट भट्टा	5000/– रू0
(ब)	बिना चिमनी के ईट भट्टा अनुज्ञा शुल्क–पत्र	500/– रू0
(स)	टाइल्स अनुज्ञा–पत्र शुल्क	1000/– रू0
(द)	चूना या सूर्खी, इंजन की शक्ति द्वारा बनाने या फूकने का अनुज्ञा–पत्र शुल्क	1000/– रू0
(य)	चूना या सूर्खी बैल चक्की द्वारा बनाने या फूकने का अनुज्ञा–पत्र शुल्क	500/– रू0

9– ईट भट्टा, चूना, सूर्खी, टाइल्स आदि बनाने के प्रारम्भिक कार्य करने के एक माह पूर्व आवेदन–पत्र कार्यालय जिला परिषद, हरिद्वार को दिया जायेगा। नवीनीकरण की दशा में यदि कार्य बराबर जारी रखना चाहते है, तो पूर्व अनुज्ञा–पत्र की तिथि के सामप्त होने के कम से कम एक माह पूर्व आगामी वर्ष का अनुज्ञा–पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

10– कोई व्यक्ति, फर्म कम्पनी, आदि कोई ऐसी सूचना नही देंगे जो असत्य हो या इन उपविधियों से सम्बन्धित कोई ऐसी सूचना जिनका अध्यक्ष, अपर मुख्य अधिकारी, कार्य अधिकारी, कर अधिकारी तथा जिला परिषद का कोई अन्य कर्मचारी जिनकी नियुक्ति इस कार्य के लिये की गई हो, मांगे तो इन्कार नही करेंगे।

11– भट्टे की ईटों पर बनाने का वर्ष तथा भट्टा या फर्म का नाम उसका चिन्ह या ट्रेड मार्क अंकित करना अनिवार्य होगा।

12– ईट भट्टे के मालिक को पर्यावरण विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लाना होगा, तभी नया नवीनीकरण किया जायेगा।

13– विभिन्न विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र देना होगा।

14– प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र भी एक माह के भीतर प्रस्तत करना होगा।

15– ईट भट्टा, सूर्खी, खपड़ा टाइल्स मालिक यदि लाइसेन्स अधिकारी के किसी आदेश का पालन न करें, तो उसके विरूद्ध धारा– 133 सी0 आर0पी0सी0 के अधीन कार्यवाही जिला प्रशासन द्वारा की जायेगी।

16– 1 अक्टूबर, से 30 अक्टूबर तक नवीनीकरण करने पर 500 रू0 का विलम्ब शुल्क जमा करना होगा। उसके उपरान्त लाइसेन्स न लेने पर भट्टे मालिक के विरूद्ध चालान की कार्यवाही की जायेगी।

17– ये उपविधियां गजट में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगी।

दण्ड

उ0प्र0 क्षेत्र समित एंव जिला परिषद अधिनियम, 1961 की धारा 240 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला परिषद यह निर्देश देती है, कि जो व्यक्ति इन उपविधियों का उल्लंघन करेगा, वह 5000/– रू0 अर्थ दण्ड से दन्डित होगा, जो प्रथम दोष सिद्धि के पश्चात ऐसे प्रत्येक दिन के लिये जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि उसमें अपराधी अपराध करता रहा है, 100/– रू0 प्रतिदिन तक अर्थ दण्ड हो सकेगा, अथवा अर्थ दण्ड का भुगतान न किया जाये तो कारावास से दन्डित किया जायेगा, जो तीन माह तक हो सकेगा।

21 फरवरी, 2014 ई0

सं0 1309/23–5(5)(2013–14)–जिला पंचायत, हरिद्वार द्वारा उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम–1961 की धारा–239(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला पंचायत, हरिद्वार द्वारा अपने अधिकार क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक मार्ग, सार्वजनिक भूमि अथवा निजी भूमि पर साप्ताहिक अथवा प्रतिदिन लगने वाले बाजारों, धार्मिक स्थलों पर लगने वाले मेलों को नियंत्रित एवं विनियमित करने के उद्देश्य सम्बन्धी पूर्व शासकीय विज्ञप्ति सं0–1747/23–144–92–94 द्वारा निर्मित उपविधियों को संशोधित कर संशोधित उपविधियां बनाई गई हैं।

अत्एव, अधिनियम की धारा–242(2) की अपेक्षानुसार आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी उक्त संशोधित उपविधियों की शासकीय गजट में प्रकाशनार्थ पुष्टि करते हैं। यह उपविधियां उत्तराखण्ड के शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगी।

सं0–1747/23–144–92–94– उ0प्र0 क्षेत्र समिति एंव जिला परि ाद अधिनियम, 1961 (अ धिनियम सं0– 33 सन् 1961) (उ0प्र0 पंचायत यिधि सं शोधन अधिनियम 1994 उ0प्र0 अधिनियम सं0– 9 सन् 1994) के अन्तर्गत सं शोधित की धारा 143 के साथ पठित धारा 145 एंव 239 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत, हरिद्वार से अपने नियन्त्रणाधीन जिला हरिद्वार के ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक मार्ग, सार्वजनिक भूमि अथवा निजी भूमि पर साप्ताहिक अथवा प्रतिदिन लगने वाले बाजारों, धर्मिक स्थलों पर लगने वाले मेलो को नियंत्रित एंव विनियमित करने के उद्दे श्य से निम्नलिखित उपविधियां सं शोधित की गई है।

यदि किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति विज्ञापन तिथि से तीस दिन के भीतर लिखित रूप में जिला पंचायत कार्यालय मायापुर हरिद्वार में प्रेषि ात करें, , तीस दिन के बाद प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नही होगा, और इन उपनियिम को अन्तिम रूप देकर धारा 242 (2) के अन्तर्गत आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी को पुि ट हेतु भेजा जायेगा।

उपविधि

1– कोई भी व्यक्ति बिना जिला पंचायत की आज्ञा के किसी भी सार्वजनिक स्थान सड़क या मार्ग पर जिसकी सीमा अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा निर्धारित की गई हो न तो कोई वस्तु बेचेगा, और न ही बिक्री के लिये रखेगा या बाजार लगायेगा, न दुकान के लिये स्थान घेरेगा, न कोई गाड़ी या पशु (क्र य–विक्रय हेतु) बाजार के लिये खड़ा करेगा, जब तक कि जिला पंचायत द्वारा निर्धारित शुल्क अदा न कर दें।

2– जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न धर्मिक स्थलों पर लगने वाले मेले एंव बाजार को नियंत्रित करने के लिये जिला पंचायत के अधिकृत ठेकेदार द्वारा तहबाजारी शुल्क वसूली करेगा।

3– जिला पंचायत द्वारा मेले में सफाई एंव पानी की व्यवस्था करेगी, ठेकेदार को उक्त व्यवस्था अपने खर्चे पर करना होगा।

4– जिला पंचायत को अधिकार होगा कि वह समय–समय पर निर्धारित मेलों का समय तथा तहबाजारी की दरों का पुनरीक्षित करने का अधिकार होगा।

5– उस गाड़ी से कोई शुल्क नही लिया जायेगा, जो किसी मकान या भवन के सामने केवल सामान उतारने के लिये खड़ी हो।

6– तहबाजारी दरों की तालिका जिला पंचायत द्वारा सम्बन्धित बाजार में उपर्युक्त स्थानों पर लगाई जायेगी, तथा उसकी प्रति सर्वसाधारण के सूचनार्थ भी उपलब्ध कराई जा सकेगी।

7– तहबाजारी संग्रह का कार्य ठेके पर कराया जायेगा, परन्तु विशेष परिस्थितियों में जिला पंचायत अपने कर्मचारियों के माध्यम से भी यह कार्य करा सकता है।

8– तहबाजारी के ठेको का नीलामी हेतु एक समिति होगी, जिसके अध्यक्ष अपर मुख्य अधिकारी होंगे और कार्य अधिकारी व वित्तीय परामर्शदाता सदस्य होंगे। नीलाम की कार्यवाही में निम्नलिखित शर्तो का पालन करना आवश्यक होगा।

(1) नीलाम में भाग लेने वाले व्यक्ति को राजस्व विभाग से हैसियत प्रमाण पत्र तथा पुलिस विभाग से प्राप्त चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जो क्रमशः तहसीलदार तथा क्षेत्राधिकारी स्तर से कम का न होगा।

(2) जिला पंचायत के किसी भी बकायादार को नीलामी में भाग लेने का अधिकार न होगा।

(3) नीलाम समिति द्वारा निर्धारित जमानत की धनराशि जमा करने के पश्चात ही कोई व्यक्ति नीलामी बोली में भाग ले सकता है। नीलामी बोली के दौरान जमानत धनराशि बढ़ाने व तुरन्त जमा कराने का अधिकार नीलाम समिति को होगा। सामान्यतया उच्चतम बोलीदाता प्रथम व द्वितीय की जमानत धनराशि रोककर अन्य बोलीदाताओं की जमानत धनराशि नीलामी की समाप्ति के बाद वापस की जा सकती है।

(4) साधारणतया नीलामी में उच्चतम बोलीदाता को बोली की सम्पूर्ण धनराशि तुरन्त जमा करनी होगी।

(5) यदि नीलाम समिति द्वारा सार्वजनिक निविदा आमंत्रित करने का निश्चय किया जाता है तो जिला पंचायत द्वारा निर्धारित प्रारूप पर अपेक्षित मूल्य की निविदा के साथ नीलाम समिति द्वारा निर्धारित जमानत की धनराशि नकद अथवा बैंक ड्राफट द्वारा जमा करने के बादी ही सीलबन्द निविदा देना अनिवार्य होगा।

(6) निविदायें नीलाम समिति द्वारा खोली जायेंगी। नीलाम समिति की संस्तुति पर नीलाम बोली अथवा निविदा अध्यक्ष, जिला पंचायत द्वारा स्वीकृत की जायेगी। दोनो की स्थितियों में नीलाम धन की सम्पूर्ण धनराशि जमा कराने तथा अनुबन्ध पत्र दाखिल करने के पश्चात ही तहबाजारी वसूली का कार्यादेश जारी किया जायेगा। विशेष परिस्थितियों में नीलाम धनराशि की किस्ते निर्धारित करने का अधिकार नीलाम समिति में निहित होगा। यदि ठेकेदार द्वारा निर्धारित तिथि पर नीलामी की धनराशि अथवा किस्त में निर्धारित धनराशि को जमा नही किया जाता तो नीलाम समिति की संस्तुति पर ठेका समाप्त करने का अधिकार अध्यक्ष जिला पंचायत को होगा।

(7) यदि ठेके की अवधि पूर्ण होने के पूर्व ही ठेकेदार ठेका छोड़ देता है अथवा उसके द्वारा उपविधियों की शर्तो का पालन न करने पर उसका ठेका समाप्त किया गया हो तो ठेका पुनः सार्वजनिक नीलाम अथवा निविदा आमंत्रित करके उठाया जायेगा। और यदि दुबारा ठेके में पहले ठेके की अपेक्षा कम धनराशि आती है, तो कमी की पूर्ति पूर्व ठेकेदार से की जायेगी, जिसकी वसूली भू–राजस्व के बकाया की भांति की जा सकती है।

6– तहबाजारी वसूली का ठेका प्रतिवर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के लिये उठाया जायेगा। सामान्यतया ठेका नीलामी की कार्यवाही व वर्ष के प्रारम्भ से पूर्व ही सम्पन्न कर ली जायेगी।

7– बाजार में सफाई का प्रबन्ध ठेकेदार द्वारा किया जायेगा।

8– ठेकेदार को जिला पंचायत द्वारा दिये गये आदेशों का अनिवार्यतः पालन करना होगा।

9– अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत को अधिकार होगा कि ठेकेदार द्वारा उपविधि के प्राविधानों के विरूद्ध कार्य करने अथवा अनुबन्ध पत्र की शर्तो का उल्लंघन करने पर बिना कारण बताये ठेके को निलम्बित कर दे, और ठेकेदार को उसके द्वारा जमा की गयी धनराशि को जब्त करने का कारण बताओं नोटिस जारी करें, संतोषजनक स्पष्टीकरण प्राप्त न होने पर अपर मुख्य अधिकारी द्वारा ठेका निरस्त करने और जमा धनराशि को जब्त करने की संस्तुति पर अध्यक्ष जिला पंचायत द्वारा ठेका निरस्त किया जायेगा।

10–उभय पक्षों में विवादा की स्थिति आने पर मामला मण्डायुक्त को संदर्भित किया जायेगा, जिसका निर्णय दोनो पर बंधनकारी होगा।

11–तहबाजारी शुल्क की बकाया धनराशि उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एंव जिला पंचायत अधिनियम, 1961 के अध्याय 8 के अन्तर्गत वसूल की जा सकती है।

12–तहबाजारी की वसूली केवल उसी दिन की जायेगी, जिस दिन साप्ताहिक बाजार के दिवस निर्धारित हो।

13– तहबाजारी वसूली से निम्नलिखित व्यक्ति/व्यवसायी मुक्त होंगे :–

(1) उत्पादक विक्रेता (किन्तु शर्त यह होगी कि उत्पादक विक्रेता की उत्पादन के साक्ष्य के रूप में जमीन की खतौनी तथा खसरा की फोटो पति उपलब्ध करानी होगी)।

(2) लघु व्यवसायी, (जिनकी बाजार के दिन बिक्री 100 रू0 से अनविक है)।

(3) अन्य छोटी व्यवसायी जैसे पान, खोमचा, साइकिल रिपेयर, गुमटी एंव लघु विक्रेता जो इन हाट बाजारों में छोटी मात्रा में बिक्री और सेवा कर अपनी जीविका चलाते है।

14– तहबाजारी वसूली की दरें

क्र0सं0	विवरण	तहबाजारी की दर
1	व्यवसायी जिनकी बिक्री 101 रू0 से 1000 रू0 तक है।	बिक्री का दो प्रतिशत
2	व्यवसाय जिनकी बिक्री 1000 रू0 से अधिक है	बिक्री का तीन प्रतिशत

15–हाट बाजार यां पशु बाजारों में लगने वाली मिठाई बाजारों में साप्ताहिक या प्रतिदिन बिकने वाले खद्य पदार्थो के विक्रेताओं को यह आव श्यक होगा कि वह कोई भी खाद्य पदार्थ खुले बर्तन में रखकर नही बेचेगा, ढककर रखेगा या जालीदार डिब्बे में रखेगा ताकि गंदगी फैलने का अंदे शा न रहें। अपर मुख्य अधिकारी अथवा उसके द्वारा अधिकृत कोई भी अधिकारी/कर्मचारी ऐसे खाद्य पदार्थो का निरीक्षण कर सकता है, और खुला पाने अथवा अखाद्य होने की स्थिति में उसे न ष्ट करा सकता है।

16– जनपद में निजी भू–खण्डों पर निजी स्वामित्व में लगने वाली बाजारों के स्वामियों के लिये यह अनिवार्य होगा कि वे उपविधि लागू होने के एक माह के अन्दर अपनी बाजार को जिला पंचायत से पंजीकृत करा ले, और उपविधि की धारा 13 तथा धारा 14 में निर्धारित मापदण्डों का अनुपालन सुनि श्चित करें। उल्लंघनकर्ता बाजार स्वामी को जिला पंचायत द्वारा सुनवाई का पर्याप्त अवसर देने के पश्चात दो ष ा सिद्ध पाये जाने पर यह अधिकार होगा कि ऐसी बाजारों में तहबाजारी वसूली का कार्य जिला पंचायत अपने हाथ में ले ले और उसका नियमन एंव प्रबन्धन करें।

17– ग्राम पंचायत तथा निजी भूस्वामियों के द्वारा तहबाजारी हेतु जिला पंचायत में पंजीकरण कराना आव श्यक होगा। इस प्रयोजन हेतु उन्हें निम्नानुसार पंजीकरण शुल्क देना होगा।

		रू0 प्रतिव र्ा
(1)	ग्राम पंचायत द्वारा आयोजित हाट बाजार हेतु	1000.00
(2)	स प्ताह में एक बार लगने वाले निजी हाट बाजार हेतु	5000.00
(3)	स प्ताह में दो या दो से अधिक बार लगने वाले निजी बाजार पर	7500.00

18– ऐसे निजी बाजारों का पंजीकरण प्रति व र्ा 30 अप्रैल तक करा लेना अनिवार्य होगा, अन्यथा 25.00 रू0 प्रतिमाह की दर से विलम्ब शुल्क देय होगा।

19– इस उपविधि के प्रवृत्त होने के दिनांक से उ0प्र0 पंचायत राज एक्ट 1947 के अधीन अथवा शासन द्वारा वि शे ष ा आदे श से निर्धारित आय सीमा से अधिक आय वाली ग्राम पंचायत की बाजारें भी जिला पंचायत के नियंत्रणाधीन हो जायेगी।

20– ग्राम पंचायत की बाजारों में भी उपविधि की धारा 13 व 14 में निर्धारित मापदण्डों का पालन करना अनिवार्य होगा, उल्लंघन की द शा में जिला पंचायत को अधिकार होगा कि सुनवाई का पर्याप्त अवसर देने के पश्चात दो ष ा सिद्ध पाये जाने पर ऐसी बाजार को जिला पंचायत अपने नियन्त्रण व प्रबन्धन में लेकर तहबाजारी वसूल करायें।

दण्ड

उ0प्र0 पंचायत एंव जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 240 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत यह निर्देश देती है, कि जो व्यक्ति इन उपविधियों का उल्लंघन करेगा, वह अर्थ दण्ड से दण्डनीय होगा जो 5000.00 रू0 तक होगा, और यदि ऐसा उल्लंघन जारी रहे तो अतिरिक्त अर्थदण्ड से दण्डित होगा, जो प्रथम दो ष्ा सिद्ध होने के पश्चात ऐसे प्रत्येक दिन के लिये जिनके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि उसमें अपराधी अपराध करता है 100.00 रू0 प्रतिदिन तक अर्थदण्ड लिया जा सकेगा।

21 फरवरी, 2014 ई0

सं0 1310/23–5(3)(2013–14)–जिला पंचायत, हरिद्वार द्वारा उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम–1961 की धारा–239(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला पंचायत, हरिद्वार द्वारा अपने अधिकार क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में पशु मेलों, पशु बाजारों, पशु पैठों अथवा पशु प्रदर्शनियों को नियंत्रित एवं विनियमित करने सम्बन्धी पूर्व शासकीय विज्ञप्ति सं0–1746/23–45–94–96 द्वारा निर्मित उपविधियों को संशोधित कर संशोधित उपविधियां बनाई गई हैं।

अत्एव, अधिनियम की धारा–242(2) की अपेक्षानुसार आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी उक्त संशोधित उपविधियों की शासकीय गजट में प्रकाशनार्थ पुष्टि करते हैं। यह उपविधियां उत्तराखण्ड के शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगी।

सं0– 1746/23–45–94–96– क्षेत्र पंचायत एंव जिला पंचायत अधिनियम 1961 जो उ0प्र0 पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम 1994 द्वारा संशोधित है, की धारा 143 के साथ पठित धारा 239 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला पंचायत, हरिद्वार ने अपने नियंत्रणाधीन जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में पशु मेलों, पशु बाजारों, पशु पैठों अथवा पशु प्रदर्शनियों को नियंत्रित व विनियमित करने हेतु निम्नलिखित उपविधियां संशोधित की गई है।

यदि किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति विज्ञापन तिथि से तीस दिन के भीतर लिखित रूप में जिला पंचायत कार्यालय मायापुर हरिद्वार में प्रेष्ाित करें, , तीस दिन के बाद प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नही होगा, और इन उपनियिम को अन्तिम रूप देकर धारा 242 (2) के अन्तर्गत आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी को पुष्ट हेतु भेजा जायेगा।

उपविधि

(1) ग्रामीण क्षेत्र का तात्पर्य उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एंव जिला पंचायत अधिनिमय 1961 में दी गयी परिभा ष्ाा से है।

(2) पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ, अथवा पशु प्रदर्शनी का तात्पर्य उस स्थान से है जहां जिला पंचायत किसी व्यक्ति अथवा किसी संस्था जिसमें धर्मिक संस्था भी है, द्वारा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में क्रय–विक्रय अथवा प्रदर्शनी हेतु पशु लाये जाते है।

(3) पशु का तत्पर्य सभी जाति एंव श्रेणी के पशु से है।

(4) राजिंस्ट्रेशन अधिकारी का तात्पर्य उस व्यस्क व्यक्ति से है, जिसे लाइसेन्स पशु पैठ अथवा पशु प्रदर्शनियों में पशुओं की बिक्री लिखने एंव शुल्क उगाही हेतु रसीद जारी करने के निमित नियुक्त किया है। निजी पशु मेलों, पशु बाजारों, पशु पैठों एंव पशु प्रदर्शनी में उसके संचालक अथवा प्रबन्धक की संस्तुति पर उपरोक्त प्रयोजन हेतु लाइसेन्स अधिकारी द्वारा नियुक्त किया गया व्यक्ति राजिस्ट्रेशन अधिकारी माना जायेगा।

(5) दलाल का तात्पग्र उस व्यस्क व्यक्ति से है जिसे जिला पंचायत के लाइसेन्स अधिकारी द्वारा पशु मेलों, पशु बाजारों, पशु पैठो एंव पशु प्रदर्शनियों में दलाल कार्य हेतु अधिकृत किया गया है।

(6) ठेकेदार का तात्पर्य भी उस व्यस्क व्यक्ति से है, जिसे जिला पंचायत में किसी पशु मेला, पशु बाजार पशु पैठ एंव पशु प्रदर्शनी हेतु ठेकों की शर्तो के अनुरूप नियत अवधि के लिये प्रबन्धक के निमित अधिकृत किया हो।

भाग– 1

1– प्रत्येक व्यक्ति जो जिला हरिद्वार के ग्रामीण क्षेत्र में कोई पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एंव पशु प्रदर्शनी आयोजित करना चाहता है, को इन उपविधियों का पालन करना होगा।

2– पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एंव पशु प्रदर्शनी के संचालक अथवा उसके द्वारा नियुक्त मैनेजर या अधिकृत एजेन्ट के लिये बाजार में आये हुए व्यक्तियों के ठहरने, जानवरों हेतु चारा पानी, सफाई तथा रोशनी का प्रबन्ध व रख–रखाव स्वंय करना होगा।

3– पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एंव पशु प्रदर्शनी के पबन्धों का निरीक्षण समय–समय पर जिला पंचायत के अधिकारियों द्वारा किया जायेगा। सफाई एंव बिक्री हेतु लाये गये खाद्य पदार्थो की जांच का कार्य चिकित्सा विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा किया जायेगा। अधिकारियों द्वारा जांच के इंगित कर्मियों को तुरन्त दूर करना संचालक, प्रबन्धक, मैनेजर अथवा एजेन्ट के लिये अनिवार्य होगा।

4– एक से अधिक दिन तक चलने वाले पशु मेला पशु बाजार, पशु पैठ पशु प्रदर्शनी में व्यापारियों एंव जनता की सुविधा हेतु शौचालय एंव मूत्रालय की व्यवस्था व सफाई कराना संचालक, मैनेजर, प्रबन्धक अथवा एजेन्ट के लिये अनिवार्य होगा।

5– जिला पंचायत के अध्यक्ष, अपर मुख्य अधिकारी, अभियन्ता, कार्य अधिकारी, कर अधिकारी, क्षेत्रीय अवर अभियन्ता, कर निरीक्षक, स्वास्थ्य विभाग के उप मुख्य चिकित्साधिकारी, प्रभारी चिकित्साधिकारी, स्वास्थ्य एंव खाद्य निरीक्षक के अतिरिक्त अध्यक्ष जिला पंचायत अथवा लाइसेसिंग अधिकारी द्वारा अधिकृत कोई भी कर्मचारी किसी भी समय निरीक्षण कर सकता है।

6– नये पशु मेले, पशु बाजार, पशु पैठ, एंव पशु प्रदर्शनी आयोजित करने के लिये शान्ति व्यवस्था सम्बन्धी पुलिस विभाग की आख्या प्राप्त होने के उपरान्त जिला पंचायत के लाइसेन्स अधिकारी द्वारा लाइसेन्स प्रार्थना पत्र पर विचार किया जायेगा।

7– नये पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ, पशु प्रदर्शनी लगवाने के लिये यह अनिवार्य होगा कि प्रारम्भ करने की तिथि से एक माह (तीस दिन) के पूर्व जिला पंचायत से लाइसेन्स प्राप्त कर लेंगे। लाइसेन्स की अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च होगी।

8– किसी पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ, एंव पशु प्रद र्शनी के स्थल से 8 किमी0 के अन्दर किसी दूसरे पशु मेले, पशु बाजार, पशु पैठ, एंव पशु प्रद र्शनी लगाने हेतु लाइसेन्स नही दिया जायेगा।

9– नये व र्ा का लाइसेन्स प्राप्त करने हेतु अनिवार्य होगा कि 30 अप्रैल तक लाइसेन्स शुल्क जमा कर नया लाइसेन्स बनवा लिया जाय अथवा पांच सौ रूप्या प्रति माह अथवा उसके किसी भाग पर विलम्ब शुल्क जमा करके ही लाइसेन्स प्राप्त किया जा सकेगा। लाइसेन्स नवीनीकरण में भी यही विधि अपनाई जायेगी, परन्तु लाइसेन्स नवीनीकरण हेतु दिये गये प्रार्थना पत्रों में लाइसेन्स संख्या, दिनांक तथा दिये गये लाइसेन्स शुल्क का विवरण अंकित करना होगा।

10– जो पशु मेले, पशु बाजार, पशु पैठ, पशु प्रद र्शनी पूर्व से लग रही है, उनके संचालन को इन उपविधियों के प्रका शन के एक माह के अन्दर लाइसेन्स बनवा लेना होगा अन्यथा उपनियम सं0– 8 के अनुसार विलम्ब शुल्क जमा करने पर ही लाइसेन्स जारी किया जायेगा। प्रतिबन्ध यह है कि ग्राम पंचायतों द्वारा आयोजित पशु मेले, पशु बाजार, पशु पैठ, पशु प्रद र्शनी पर लगाये गये विलम्ब शुल्क की किसी स्थिति तक कम करने अथवा समाप्त करने का विश े ाधिकार अध्यक्ष जिला पंचायत को होगा।

11– अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, हरिद्वार इन उपविधियों के अन्तर्गत लाइसेन्स अधिकारी होंगे।

उपविधि भाग– 2

1– कोई भी व्यक्ति जिले के ग्रामीण क्षेत्र में किसी पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ, पशु प्रद र्शनी में किसी भी पशु का क्रय–विक्रय रजिस्ट्रेशन अधिकारी द्वारा उसकी बिक्री की रजिस्ट्री कराये बिना नहीं कर सकेगा।

2– पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ, पशु प्रद र्शनी के स्वामी अथवा संचालक द्वारा अधिकृत व्यक्ति जिला पंचायत के लाइसेन्सिंग अधिकारी को अनुमति से 25000/– रू0 वा र्षिक रजिस्ट्रेशन शुल्क देकर राजिस्ट्रेशन अधिकारी नियुक्त हो सकता है।

3– (अ) निजी पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एंव पशु प्रद र्शनी के स्वामी का दायित्व होगा कि राजिस्ट्रेशन अधिकारी नियुक्त किये जाने वाले व्यक्ति का पूरा पता सहित पुलिस विभाग द्वारा जारी चरित्र प्रमाण–पत्र के साथ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें। ऐसे रजिस्ट्रेशन अधिकारी का पारिश्रमिक स्वामी, संचालक अथवा ठेकेदार की आपसी सहमति से तय होगा। प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा परिश्रमिक न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत निर्धारित दर से कम न होगा।

4– रजिस्ट्रेशन अधिकारी प्रत्येक पशु की बिक्री की रजिस्ट्री पशु देखकर तथा साक्ष्य लेकर ही करेगा।

5– किसी भी मृत पशु की रजिस्ट्री सूर्योदय के पूर्व और सूर्यास्त के पश्चात् नही की जा सकेगी।

6– रजिस्ट्रेशन अधिकारी प्रत्येक पशु की बिक्री पर रजिस्ट्री करते समय एक प्रतिशत केता एंव एक प्रतिशत विक्रता से पूरे मूल्य पर शुल्क वसूल करेगा, जो किसी भी दशा में रूपये 100.00 से कम नही होगा। प्रतिबन्ध यह है कि जिला पंचायत की विशेष संकल्प द्वारा इन उपविधियों में किसी भी प्राविधान के बावजूद रजिस्ट्रेशन शुल्क की स्थानीय परिस्थितियों के कारण बढा देने अथवा कम कर देने का अधिकारी होगा।

7– निजी पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एंव पशु प्रदर्शनी के पबन्धक द्वारा उपविधि के नियमों अथवा निरीक्षण के आदेशों का पालन न करने पर संचालक या प्रबन्धक की एक माह का नोटिस दी जायेगा, और उसके उपरान्त भी प्रबन्ध ठीक नही होता है, तो लाइसेन्स अधिकारी की संस्तुति पर अध्यक्ष जिला पंचायत द्वारा उक्त पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ अथवा पशु प्रदर्शनी को नियत तिथि से अपने प्रबन्ध में लेने की अधिसूचना जारी की जायेगी ओर जिला पंचायत द्वारा स्वंय अथवा ठेके पर उक्त प्रबन्ध किया जायेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि उक्त अवधि तीन वर्ष से अधिक न होगी किन्तु आपवादि स्थितियों में जिला पंचायत को विशेष संकल्प से यह अवधि बढ़ाई जा सकती है।

उक्त व्यवस्था में होने वाली आय में से जिला पंचायत द्वारा निर्धारित प्रबन्धकीय व्यय काटकर शेष धनराशि निजी प्रबन्धक अथवा संचालकों को वापसी की जायेगी।

8– जिला पंचायत द्वारा नियुक्त ठेकेदार को किसी भी दशा में उपविधियों द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क वसूल करने का अधिकार नही होगा।

9– रजिस्ट्रेशन अधिकारी प्रत्येक पशु की बिक्री का प्रमाण पत्र अपने हस्ताक्षर से केता को उ0प्र0 पुलिस रेगुलेशन के नियम 183 (2) के अन्तर्गत पुलिस फार्म 54 में भर कर देगा तथा उसका प्रतिपर्ण अपने पास सुरक्षित रखेगा। यदि किसी पशु का दूध पीता बच्चा साथ मं हो तो एक ही बिक्री प्रमाण पत्र पर्याप्त होगा। एक प्रतिपर्ण पर एक ही पशु की रजिस्ट्री की जायेगी।

10– पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एंव पशु प्रदर्शनी के संचालक तथा प्रबन्धक के लिये यह अनिवार्य होगा कि उ0प्र0 पुलिस रेगुलेशन के लिये यह अनिवार्य होगा कि उ0प्र0 पुलिस रेगुलेशन के नियम 183 (2) में निर्धारित पुलिस फार्म 54 पुस्तके, जिला पंचायत कार्यालय से निर्धारित शुल्क जमा करने के पश्चात प्राप्त करके पशुओं के रजिस्ट्रेशन हेतु प्रयोग में लायेगा, और पुस्तकों के प्रतिपर्ण जिला पंचायत कार्यालय में जमा करेगा। यह शर्त ठेकेदार के ऊ पर भी यथावत लागू होगा।

11– पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ, एंव पशु प्रदर्शनी के संचालक या प्रबन्धक अथवा ठेकेदार के लिये आवश्यक होगा कि पशुओं के रजिस्ट्रेशन तथा शर्तो की सूचियां रजिस्ट्रेशन के बैठने के स्थान पर चिपका दें।

12– कोई भी व्यक्ति जिला पंचायत द्वारा संचालित अथवा निजी पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एंव पशु प्रदर्शनी में संक्रामक रोग से पीड़ित पशु को नही ला सकेगा। एतदर्थ नियुक्ति जिला पंचायत के अधिकारी अथवा निजी पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ अथवा पशु प्रदर्शनी के संचालक/प्रबन्धक को अधिकार होगा कि संक्रामक रोग से ग्रस्त किसी भी पशु को प्रवेश न करने दे अथवा स्थल से बाहर निकाल दें।

13– कोई भी व्यक्ति या संस्था निर्वारित फीस देकर वर्णित अवधि के लिये जिला पंचायत से लाइसेन्स प्राप्त किये बिना पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एंव पशु प्रदर्शनी का आयोजन नही कर सकेगा।

14– पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एंव पशु प्रदर्शनी के लिये निम्नांकित लाइसेन्स शुल्क देय होगा।

उपविधि भाग– 3

1– जिला पंचायत द्वारा पशु मेलों, पशु बाजारों, पशु पैठों एंव पशु प्रदर्शनियों क्रेता एंव विक्रेता के बीच सम्बन्ध स्थापित करने हेतु चौधरी अथवा दलाल का लाइसेन्स दिया जायेगा। ऐसे चौधरी तथा दलाल निम्नांकित शर्तो के अधीन लाइसेन्स प्राप्त करेंगे, और कार्य करेंगे।

कोई भी व्यस्क एंव स्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति ही चौधरी या दलाल का कार्य करने हेतु लाइसेन्स प्राप्त कर सकेगा।

2– 25000/– रू0 वार्षिक शुल्क अदा करने पर ही लाइसेन्स अधिकारी द्वारा चौधरी तथा दलाल का लाइसेन्स दिया जायेगा।

3– चौधरी तथा दलाल प्रत्येक पशु की बिक्री पर निम्न प्रकार कमीशन पाने का अधिकारी होगा। उक्त कमीशन क्रेता एंव विक्रेता द्वारा आधा–आधा दिया जायेगा।

		रूपया
(अ)	पशु के रू0 1000/– तक मूल्य पर	30.00
(ब)	पशु के रू0 1000/– से 5000/– तक मूल्य पर	50.00
(स)	पशु के रू0 5000/– से ऊपर पर	100.00

4– जिला पंचायत द्वारा नियुक्त कोई चौधरी/दलाल अपनी नियुक्ति के पशु मूला, पशु बाजार, पशु पैठ एंव पशु प्रदर्शनी से 30 किमी0 के अन्दर अन्य किसी पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एंव पशु प्रदर्शनी में चौधराहट या दलाली नही कर सकेगा। अन्यथा उसकी चौधराहट/दलाली लाइसेन्स अधिकारी द्वारा समाप्त कर दी जायेगी।

दण्ड

उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एंव जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 240 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत, हरिद्वार यह निर्देश देती है कि जो व्यक्ति इस उपविधियों का उल्लंघन करेगा वह दण्ड से दण्डनीय होगा, जो रू0 5000.00 तक होगा। और यदि ऐसा उल्लंघन जारी रहे तो अतिरिक्त अर्थदण्ड से दण्डित होगा, जो प्रथम दो ष्ा सिद्ध होने के बाद ऐसे प्रत्येक दिन के लिये जिनके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि उसमें अपराधी अपराध करता है स्0 100.00 प्रतिदिन तक दण्ड लिया जा सकेगा।

शूरवीर सिंह मटूरा,
अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, हरिद्वार।

अंजुम,
अध्यक्ष,
जिला पंचायत, हरिद्वार।

डी0 एस0 गर्ब्याल,
आयुक्त,
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 18 हिन्दी गजट/346–भाग 3–2014 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 03 मई, 2014 ई0 (बैशाख 13, 1936 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

सूचना

"मेरी हाई स्कूल 2012 की मार्कशीट रोल नं0–5278616 में माता का नाम MANJU VALA अंकित है। जबकि माता का सही नाम MANJU BALA है। भविष्य में मेरी माता को MANJU BALA के नाम से जाना, पहचाना व पुकारा जाये।"

समस्त औपचारिकतायें मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

रीना पुत्री होराम सिंह, निवासी ग्राम भंगेड़ी,
महावतपुर, पोस्ट मिलापनगर, तहसील रुड़की,
जिला हरिद्वार, उत्तराखण्ड।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 18 हिन्दी गजट/346–भाग 8–2014 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।